रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD.NO.D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1218] नई दिल्ली, सोमवार, जून 27, 2011/आषाढ़ 6, 1933
No. 1218] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 27, 2011/ASADHA 6, 1933

श्रम और रोजगार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 जून, 2011

का.आ. 1461(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि मैसर्स बाटा इंडिया लि. के प्रबंधन और उनके कामगारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है जिसका प्रतिनिधित्व अखिल भारतीय बाटा दुकान प्रबंधक संघ कर रहा है। उक्त विवाद में राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न शामिल है और उसकी प्रकृति ऐसी है कि मैसर्स बाटा इंडिया लि. के एक से अधिक राज्यों में फैले प्रतिष्ठानों के ऐसे विवाद में रुचि लेने अथवा प्रभावित होने की संभावना है।

और जबकि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आवेदन संख्या डब्ल्यू पी 7585/2007 दिनांक 23-3-2011 के संबंध में इस मामले पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अंतर्गत विचार करने तथा समुचित निर्णय लेने का निदेश दिया था।

और जबकि केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि उक्त विवाद का न्याय-निर्णयन राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए।

और जबकि केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रम मंत्रालय के दिनांक 5-9-2007 के आदेश संख्या एल-51014/1/2007-आई आर (पी जी) द्वारा एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण गठित किया था जिसका मुख्यालय कोलकाता में था और न्यायमूर्ति सी.पी. मिश्रा को इसके पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था तथा उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त औद्योगिक विवाद को न्याय-निर्णयन हेतु उक्त राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को संदर्भित किया था।

और जबकि न्यायमूर्ति सी. पी. मिश्रा ने दिनांक 19-4-2010 (पूर्वाह्न) को उक्त राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का कार्यभार छोड़ दिया था।

अतः, अब एक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है जिसका मुख्यालय कोलकाता में होगा तथा जिसके पीठासीन अधिकारी न्यायमूर्ति माणिक मोहन सरकार, पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कोलकाता होंगे एवं उपर्युक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए उपर्युक्त राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को इस निदेश के साथ संदर्भित किया जाता है कि न्यायमूर्ति माणिक मोहन सरकार इस मामले में उस अवस्था से आगे कार्यवाही करेंगे जहां पर इसे न्यायमूर्ति सी. पी. मिश्रा ने छोड़ा था और तदनुसार उसका निपटान करेंगे।

[सं. एल-51014/1/2007-आई आर (पी जी)]

रवि माथुर, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

ORDER

New Delhi, the 24th June, 2011

S.O. 1461(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that an Industrial dispute exists between the management of M/s. Bata India Ltd. and their workmen represented by All India Bata Shop Managers Union. The dispute involves question of national importance and also is of such nature that the establishments of M/s. Bata India Ltd. are situated in more than one State are likely to be interested in, or affected by, such dispute,

And whereas the Hon'ble High Court of Delhi in Application No. WP 7585/2007 dated 23-3-2011 gave a direction to consider the matter under the provisions of Industrial Disputes Act,1947 and take appropriate decision.

And whereas the Central Government is of the opinion that the said dispute should be adjudicated by a National Tribunal.

And whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 7B of the I.D. Act, 1947 (14 of 1947) constituted a National Industrial Tribunal *vide* Ministry of Labour Order No. 51014/1/2007-IR (PG) dated 5-9-2007 with headquarters at Kolkata and appointed Justice C.P. Mishra as its Presiding Officer and in exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of Section 10 of the said Act, referred the said Industrial Dispute to the said National Industrial Tribunal for adjudication.

And whereas Justice C.P. Mishra relinquished charge of the above National Industrial Tribunal on 19-4-2010 (FN).

Now, therefore, a National Industrial Tribunal is constituted with headquarters at Kolkata with Justice Manik Mohan Sarkar, Presiding Officer of CGIT, Kolkata as its Presiding Officer and the above said dispute is referred to the above said National Industrial Tribunal for adjudication with a direction that Justice Manik Mohan Sarkar shall proceed in the matter from the stage at which it was left by Justice C.P. Mishra and dispose of the same accordingly.

[No. L-51014/1/2007-IR (PG)]

RAVI MATHUR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.